संख्या- 06/2025/341/58-2025-1898431

प्रेषक,

विनय कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 18 फरवरी, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से सामान्य कार्यक्रम हेतु तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0-5000.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-3333.33 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप) रू0-4816.67 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-13150.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-118/बजट/2024-25, दिनांक 10.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से सामान्य कार्यक्रम हेतु तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0-5000.00 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-3333.33 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप) रू0-4816.67 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-13150.00 लाख को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

gairadesh.up.gov.in

2. स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों में ही किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.02.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।
5. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
6. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. योजना से आच्छादित पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाय।
10. योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता की जांच योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार सुनिश्चित कर ली गयी है।
11. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।
12. विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
13. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

14. स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

15. प्रश्नगत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुरोध प्राप्त कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190102 (पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.)	27 सब्सिडी	47,77,69,000 (रुपये सैंतालीस करोड़ सतहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र)
2	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	2,22,31,000 (रुपये दो करोड़ बाईस लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**50,00,00,000** **(रुपये पचास करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001198902 (पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001198902 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन	27 सब्सिडी	80,01,80,000 (रुपये अस्सी करोड़ एक लाख अस्सी हजार मात्र)
2	010	2401001198902 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन	42 अन्य व्यय	1,48,20,000 (रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख बीस हजार मात्र)
	कुल			**81,50,00,000** **(रुपये इक्यासी करोड़ पचास लाख मात्र)**

महायोग	1,31,50,00,000 (रुपये एक अरब इकतीस करोड़ पचास लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-1-343-X-2024-25-दिनांक:18-2-2025** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या-06/2025/341(1)/58-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अनु निदेशक, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://